

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19 के दायरे का वसि्तार किया

प्रलिम्स के लिये:

अनुच्छेद 19 का दायरा, सर्वोच्च न्यायालय, मौलिक अधिकार

मेन्स के लिये:

महत्त्वपूर्ण नरि्णय, मौलिक अधिकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया है कि अनुच्छेद 19/21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार को राज्य या उसके साधनों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है।

न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिवियक्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19(2) में पहले से निर्धारित किये गए आधारों के अलावा किसी भी अतिरिक्त आधार पर प्रतिबिधित नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 19:

- भारतीय संवधान के अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभवियकति की स्वतंत्रता का प्रावधान है और आमतौर पर राज्य के खिलाफ लागू होता है।
 - ॰ भारतीय संवधान, 1949 का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है, जो इस प्रकार हैं:
 - वाक् और अभवि्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।
 - शांतपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार।
 - संगम या संघ बनाने का अधिकार।
 - भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार।
 - भारत के कर्सी भी कुषेतुर में नविास का अधिकार।
 - वलोपति
 - व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार।
 - भारतीय संवधान, 1949 का अनुच्छेद 19(2):
 - खंड (1) का उपखंड (a) किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा या राज्य को कोई भी कानून बनाने से नहीं रोकेगा, हालाँक उक्त उपखंड प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर भारत की संप्रभुता और अखंडता के संदर्भ में उचित प्रतिष्ध लगाता है जैसे- राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकिता, या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या हिसा के लिये उकसाने के संबंध में।
- कुछ मौलिक अधिकार जैसे- अस्पृश्यता, तस्करी और बंधुआ मज़दूरी पर रोक लगाने वाले अधिकार स्पष्ट रूप से राज्य और अन्य व्यक्तियों दोनों के खिलाफ हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ:

- निजी संस्थाओं के खिलाफ अधिकार:
 - ॰ यह व्याख्या राज्य पर यह सुनशिचति करने का **दायतित्व डालती है कि निजी संस्थाएँ भी संवैधानकि मानदंडों का पालन करती हैं।**
 - यह कई संवैधानिक कानूनी संभावनाएँ प्रदान करता है, जैसे कि निजि डॉक्टर के खिलाफ गोपनीयता के अधिकार को लागू करना या निजी सोशल मीडिया फर्म के खिलाफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करना।
- न्यायालय के पूर्व फैसलों का संदर्भ:
 - न्यायालय ने पुट्टास्वामी मामले में वर्ष 2017 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें नौ न्यायाधीशों की बेंच ने सर्वसम्मति सेनिजता को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा था।

• सरकार ने तर्क दिया कि निजिता एक ऐसा अधिकार है**जिसे अन्य नागरिकों के खिलाफ लागू किया जा सकता है, इसलिये इसे राज्य के खिलाफ मौलिक अधिकार का दरजा** नहीं दिया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण:

- न्यायालय ने **अन्य देशों की कानुनी प्रणालियों को देखते हुए यूरोपीय न्यायालयों के साथ अमेरिकी दुष्टिकोण की तुलना की।**
- अमेरिकी कानून में "ऊर्ध्वाधर दृष्टिकोण" से "क्षैतिज दृष्टिकोण" में बदलाव का एक उदाहरण न्यूयॉर्क टाइम्स बनाम सुलिवन मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, जिसमें पाया गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ मानहानि कानून संबंधी राज्य का आवेदन भाषण और अभिवयकति की स्वतंत्रता की संविधान की गारंटी के साथ असंगत था।
- ॰ जब **अधिकारों को ऊर्ध्वाधर** (Vertically) रूप से लागू किया जाता है, तो उनका उपयोग केवल सरकार के विरुद्ध ही किया जा सकता है; **क्षैतिज (Horizontally)** रूप से लागू होने पर उनका उपयोग अन्य नागरिकों के विरुद्ध भी किया जा सकता है।
 - उदाहरण के लिये एक नागरिक किसी निजी कंपनी के खिलाफ जीवन के अधिकार के क्षैतिज (Horizontally) आवेदन के तहत प्रदूषण उत्पन्न करने के लिये मुकदमा दायर कर सकता है, जो कि स्वच्छ प्रयावरण के अधिकार का उल्लंघन होगा।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

?!?!?!?!?!?!?!?!?

प्रश्न. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 'नजिता का अधिकार' संरक्षित है? (2021)

- (a) अनुच्छेद 15
- (b) अनुच्छेद 19
- (c) अनुच्छेद 21
- (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (c)

प्रश्न. नजिता के अधिकार को जीवन और व्यक्तगित स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखिति कथनों में से कौन-सा उपर्युक्त वाक्य को सही एवं उचित रूप से लागू करता है? (2018)

- (a) अनुच्छेद 14 और संवधान के 42वें संशोधन के तहत प्रावधान।
- (b) अनुच्छेद 17 और भाग IV में राज्य नीति के नदिशक सिद्धांत।
- (c) अनुच्छेद 21 और भाग III में गारंटीकृत स्वतंत्रता।
- (d) अनुच्छेद 24 और संवधान के 44वें संशोधन के तहत प्रावधान।

उत्तरः (c)

[?][?][?][?][:

प्रश्न. नजिता के अधिकार पर सर्वोच्च नयायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के दायरे की जाँच कीजिये। (2017)

सरोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/supreme-court-expands-article-19-ambit